



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in,

E-mail – adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक/1310 /सा.प्रशा./वेतन-आ./एफ-17/2020


रायपुर, दिनांक 24/06/2020

// अपील //

## “मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से योगदान”

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 249/ब-4/04/2020 दिनांक 23.06.2020 के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी, द्वारा दिनांक 09 जून 2020 को कोविड-19 से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता हेतु शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों से **मुख्यमंत्री सहायता कोष** में अंशदान देने की अपील की है।

अतः विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील है कि विश्वविद्यालय के जो भी शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी **स्वेच्छा** से जून माह के वेतन से एक दिवस का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान नहीं करना चाहते हैं, वे अपनी **असहमति** लिखित में **तीन दिवस** में प्रदान करें, ताकि **मुख्यमंत्री राहत कोष** में सहायता राशि प्रेषित किया जा सके।

  
24.6.20


कुलसचिव

पृ. क्र./1311 /सा.प्रशा./वेतन-आ./एफ-17/2020

रायपुर, दिनांक 24/06/2020

प्रतिलिपि :-

1. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, पं. र.शु.वि.वि. को सूचनार्थ,
2. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

  
उपकुलसचिव(प्रशा.)

- नोवेल कोरोना वायरस(COVID-19) से बचने के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा दिये जा रहे दिशा-निर्देशों का पालन करें।
- नोवेल कोरोना वायरस(COVID-19) से खुद बचे तथा औरों को बचाएँ।

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,  
जिला-रायपुर

क्र. 249 /ब-4/04/2020  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/6/2020

- (1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन,
- (2) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
- (3) समस्त विभागध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी
- (4) समस्त आहरण संवितरण अधिकारी
- (5) समस्त कोषालय अधिकारी

विषय:- मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से योगदान हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के जून 2020 से एक दिन के वेतन राशि कटौती के संबंध में।


संदर्भ:- वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 81/ब-4/2020 दिनांक 26.05.2020

---00---

माननीय मुख्यमंत्री जी, द्वारा दिनांक 09 जून 2020 को कोविड-19 से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता हेतु शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों से मुख्यमंत्री सहायता कोष में अंशदान देने की अपील की है। इसके अनुक्रम में राज्य के आईएस एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन एवं अन्य कर्मचारी संगठनों द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के जून माह के वेतन से एक दिन के वेतन की कटौती करने का अनुरोध किया गया है। वित्त विभाग द्वारा इस हेतु अधिकारी/कर्मचारियों के जून माह के वेतन से एक दिवस के वेतन की राशि कटौती करके निम्नानुसार बजट शीर्ष में जमा करने की सुविधा ई-पेरोल सॉफ्टवेयर के utilities menu के अंतर्गत relief fund update option में उपलब्ध करा दी गई है:-

मुख्य शीर्ष - 8443 - सिविल जमा राशियां
लघु शीर्ष - {800} - सिविल जमा राशियां
योजना क्रमांक - {0001} - मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा


2/ कृपया उपरोक्तानुसार कटौती सुनिश्चित करते हुये वेतन देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करें। कटौती सहित वेतन देयक तैयार करने का दायित्व संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी का होगा।

  
23/6.  
(शारदा वर्मा)  
संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, छत्तीसगढ़
6. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, नवा रायपुर अटल नगर
13. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नवा रायपुर अटल नगर
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, नवा रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
21. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया ई-कोष साफ्टवेयर में वेतन देयक से की गयी कटौती राशि के लोक लेखा जमा शीर्ष में संपूर्ण राशि का विवरण वित्त विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
22. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय अधिकारी को उपरोक्त लोक लेखा जमा शीर्ष (मुख्यमंत्री राहत कोष) में जमा राशि को (एन.आई.सी. के माध्यम से ई-कोष से प्राप्त जमा राशि के विवरण अनुसार) आहरित कर बैंकर्स चेक/आरटीजीएस के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष के बैंक खाते में जमा कराएं।
23. .... संबंधित अधिकारी/कर्मचारी संघ की ओर सूचनार्थ।

  
23/6

संयुक्त सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग